2016 का विधेयक संख्यांक 302

[दि फ्री एण्ड कम्पल्सरी सेकेण्डरी एण्ड सीनियर सेकेण्डरी एजुकेशन बिल, 2016 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

नि:शुल्क और अनिवार्य माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा विधेयक, 2016

सभी बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नि:शुल्क और अनिवार्य माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 2016 है।

(*2*) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर है।

5 (*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,:—

(क) ''समुचित सरकार'' से राज्य के मामले में राज्य सरकार, विधानमण्डल वाले संघ राज्यक्षेत्र के मामले में संघ राज्यक्षेत्र की सरकार और अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से नगर निगम या नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत या जिला परिषद या शहरी स्थानीय निकाय या किसी शहर, कस्बे या गांव में विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण वाले स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अंतर्गत शक्तिप्राप्त प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) ''बालक'' से पुरुष या स्त्री अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;

(घ) ''माध्यमिक शिक्षा'' से नवीं और दसवीं कक्षा में शिक्षा अभिप्रेत है;

(ङ) ''वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा'' से ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में शिक्षा अभिप्रेत है;

(च) ''माता-पिता'' से बालक का जन्मदाता या दत्तकग्रहणकर्ता माता या पिता अभिप्रेत है;

(छ) ''अभिभावक'' से बालक की अभिरक्षा लेने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) ''विद्यालय'' से माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाली कोई मान्यताप्राप्त संस्था अभिप्रेत है, और इसमें समुचित सरकार सहायता प्राप्त करने वाले या सहायता प्राप्त न करने वाले और अल्पसंख्यक विद्यालय आते हैं;

(झ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है; और

(ञ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।

समुचित सरकार नि:शुल्क और अनिवार्य माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रदान करेगी।

3. समुचित सरकार प्रत्येक बालक को नि:शुल्क और अनिवार्य माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रदान करेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, नि:शुल्क शिक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(क) स्कूल फीस और प्रवेश प्रभार, यदि हों;

(ख) नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें और लेखन सामग्री;

(ग) माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन; और

(घ) जहां आवश्यक हो नि:शुल्क छात्रावास सुविधाएं।

समुचित सरकार विद्यालयों की स्थापना करेगी।

4. समुचित सरकार प्रत्येक बालक को नि:शुल्क माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर पर्याप्त संख्या में विद्यालयों की स्थापना करेगी।

माता-पिता और अभिभावक का उत्तरदायित्व।

5. (*1*) समाज के किसी भी वर्ग के रीति-रिवाज़, प्रथा या मान्यता के होते हुए भी प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक अपने बालक को अनिवार्यत: विद्यालय में प्रवेश दिलाएगा।

(*2*) माता-पिता या अभिभावक सहित कोई भी व्यक्ति बालक को उसकी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से नहीं रोकेगा:

परंतु यह कि यदि कोई बालक विद्यालय में देर से प्रवेश पाने या मंद अधिगम क्षमताओं के कारण अठारह वर्ष की आयु तक वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा पूर्ण नहीं करता है तो समुचित सरकार ऐसे बालक को उसकी आयु अठारह वर्ष हो जाने पर भी नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करेगी।

केन्द्रीय सरकार अपेक्षित निधियां प्रदान करेगी।

6. केन्द्रीय सरकार, इस संबंध में संसद की विधि द्वारा सम्यक विनियोग के पश्चात् राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां प्रदान करेगी।

शास्ति

7. माता-पिता या अभिभावक सहित कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम का उल्लंघन करता है ऐसी अवधि के लिए जो एक वर्ष तक की हो सकेगी कारावास से दण्डित होगा और जुर्माने का दायी होगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

8. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम के अतिरिक्त किसी अन्य विधि के फलस्वरुप विधि का प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

9. इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम से संबंधित किसी विषय का विनियमन करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में। अधिनियम का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना।

10. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा बालक के समग्र विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बालक का सामाजिक कल्याण उसके शुरुआती स्कूली स्तर पर प्राप्त शिक्षा पर भी निर्भर करता है।

बालक को शिक्षित बनाने के साथ-साथ, शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देती है क्योंकि यह राष्ट्र के भावी कार्यबल को और अधिक उत्पादक बनाती है। आर्थिक अध्ययन बताता है कि भारत जनांकिकीय लाभ की स्थिति में है। यहां कामकाजी जनसंख्या (अठारह वर्ष और साठ वर्ष आयु के बीच) का अनुपात कुल जनसंख्या के अनुपात में निर्भर जनसंख्या (अठारह वर्ष से कम और साठ वर्ष की आयु से अधिक) की तुलना में कहीं अधिक है। भारत इस अपेक्षाकृत युवा कार्यबल को शिक्षित कर कौशल प्रदान करता है तो इसे और अधिक उत्पादक बनाकर इससे फायदा उठा सकता है।

बालकों को शिक्षा का महत्व पहचानते हुए केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2009 में बालकों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया जिसके अंतर्गत 14 वर्ष की आयु से कम के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से कक्षा 8 तक) नि:शुल्क और अनिवार्य कर दी गई। यद्यपि यह अधिनियम प्रशंसनीय है, फिर भी यह बालकों की शिक्षा प्रारंभिक स्तर से आगे जारी रखे जाने के मुद्दे का समाधान नहीं कर सका।

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू कीं। वर्ष 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया जिसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में वर्ष 2017 तक पूर्ण नामांकन हासिल करना और इस प्रकार नामांकित बच्चों की वर्ष 2020 तक पूर्ण रूप से शिक्षा जारी रखना था।

लेकिन भारत में कोई विधिक ढांचा ऐसा नहीं है जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा की गारंटी देता है। अत:, विधेयक का उद्देश्य इस नीति की खामी को दूर करना तथा अठारह वर्ष की आयु से कम के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
4 नवम्बर, 2016
13 कार्तिक, 1938 (शक)

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 सभी बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा का उपबंध करता है। खंड 4 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यालयों की स्थापना का उपबंध करता है। खंड 6 उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त निधियां प्रदान करेगी। अत: इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। अनुमान है कि भारत की संचित निधि में से पांच हजार करोड़ रुपए की राशि का आवर्ती व्यय शामिल होगा।

इस पर एक सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय भी होने का की संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 10 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। चूंकि नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

सभी बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक
शिक्षा तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए
विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—3681LS(S3)—08-12-2016.